BR-054/2017

पत्रांक–वन भूमि–09/2018......................../प०व०

निबंधित

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

ललन प्रसाद सिंह, भा०व०से०
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

पटना–15, दिनांक–.............................

विषय :– पटना एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत 400 KV D/C नवीननगर–पटना पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.8446 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, पटना द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित पारेषण लाईन राज्य के दो वन प्रमंडलों से होकर गुजरेगी जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि 1.8446 हे० एवं 24 वृक्षों के पातन प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्रम०सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाले वृक्षों की सं०	वानस्पतिक घनत्व
1	औरंगाबाद	1.5226	10	0.1 से कम
2	पटना	0.322	14	0.1 से कम
	कुल	**1.8446**	**24**	

विषयांकित परियोजना में कुल–1.8446 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है। पातित होने वाले वृक्षों की संख्या–24 है।

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद, जिला पदाधिकारी, अरवल एवं जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अपयोजन प्रस्ताव का टोपो सीट प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 1.8446 हे० वन भूमि के बदले दुगुने अवकृष्ट वन 3.6892 हे० अर्थात 4.00 हे० वन भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 1.8446 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 11,54,720/— (ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ बीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 1.8446 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद के औरंगाबाद प्रक्षेत्र अंतर्गत पवई रक्षित वन (पी०एफ०) में 4.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि चिन्हित की गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागर तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/— रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि—09/2018....................../प0व0, पटना—15, दिनांक.....................................

प्रतिलिपि :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार / मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव

ज्ञापांक: वन भूमि—09/2018..327(६०)..../प0व0, पटना—15, दिनांक..16/03/18...............

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब—साईट पर अपलोड करते हुए तत्संबंधी पार्ट—2 उपलब्ध कराया जाय।

16/3/18
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

VRStg.One60